कार्यालय, जिला पंचायत- जशपुर (छ.ग.)
(महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ)

//प्रेस विज्ञप्ति//

क्रमांक/ 344 /MGNREGA/स्था./ 2017 जशपुर दिनांक 27/05/17

विज्ञापन क्रमांक/551 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा विज्ञापित पद तकनीकी सहायक (संविदा) के रिक्त पद की भर्ती हेतु गठित सूक्ष्म चयन समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार अंतिम चयन सूची जारी की जाती है:–

पद–तकनीकी सहायक

संख्या–06 1. अनारक्षित (मुक्त)–03 पद, अजजा (मुक्त)–02 पद, अजजा (महिला)–01 पद

मुख्य सूची:––अनारक्षित (मुक्त)

1. कु. भावना सिंह/पिता–श्री सनत सिंह
2. श्री प्रकाश पटेल/पिता–श्री परस राम पटेल
3. श्री अनुज कुमार मिश्रा/पिता–श्री चंद्रेश मिश्रा

प्रतिक्षा सूची:––अनारक्षित (मुक्त)

1. श्री अमरकांत गुप्ता/पिता–श्री सुभाष गुप्ता
2. श्री अंकित गुप्ता/पिता–श्री कृष्ण गुप्ता
3. श्री अक्षय सिंह/पिता–श्री हीरा सिंह
4. श्री गणेश कुमार पांडेय/पिता–श्री अशोक कुमार पांडेय
5. श्री राहुल कुमार अग्रवाल/पिता–श्री राजकुमार अग्रवाल
6. कु. स्वाति गुप्ता/पिता–श्री विजय कुमार गुप्ता

मुख्य सूची:––अ.ज.जा. (मुक्त)

1. श्री समीर कुमार एक्का/पिता–श्री महेश एक्का
2. कु. हिमेश्वरी भगत/पिता–श्री रामनाथ भगत

प्रतिक्षा सूची:––अ.ज.जा. (मुक्त)

1. श्री संदीप तिर्की/पिता–श्री माईकेल तिर्की
2. श्री अंकित कुमार/पिता–श्री बसंत कुमार साय
3. श्री हेमंत कुजूर/पिता–श्री मार्टिन कुजूर
4. श्री विकास प्रभात एक्का/पिता–श्री बोनीफास एक्का

मुख्य सूची:––अ.ज.जा. (महिला)

1. कु. साधना भगत/पिता–श्री दिलेश्वर भगत

प्रतिक्षा सूची:––अ.ज.जा. (महिला)

1. कु. प्रतिभा पैंकरा/पिता–श्री जयबिन्दरो साय पैंकरा
2. कु. कीर्ति भगत/पिता–श्री दिनेश राम भगत

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ 344/A /MGNREGA /स्था./ 2017 जशपुर, दिनांक 27/05/17

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है, कि जशपुर जिले के वेबसाईट www.jashpur.nic.in पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला–जशपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है, कि एक दिन स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

D:\Bhola Gupta\letter\Memo-02.doc

कार्यालय, जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)
(महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ)

–: आदेश :–

क्रमांक / 341 / जि.पं. / स्था. / **MGNREGA** / 2017 जशपुर, दिनांक 27/05/17

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर का पत्र पृ. क्रमांक / 439 / प.ग्रा.वि.वि. / 22 / 2017 रायपुर दिनांक 01.02.2017 पत्र पृ. क्र. 807 / पंग्राविवि / वि / 22 / 2011 रायपुर दिनांक 06.04.2011 एवं इस कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक 551 / जि.प. / MGNREGA / संविदा / 2016–17 दिनांक 27.09.2016 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला पंचायत में **तकनीकी सहायक (संविदा)** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **दिनांक 28.02.2018 तक** के लिए छ.ग. शासन द्वारा समय समय पर जारी एकमुश्त संविदा **वेतन प्रतिमाह** पर निम्न चयनित उम्मीद्वार को नियुक्ति प्रदान करते हुए नीचे वर्णित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:–

क्र.	उम्मीदवार का नाम	पिता / पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	2	3	4
1	कु. भावना सिंह	श्री सनत सिंह	रक्षित केन्द्र, पुलिस लाईन, कॉलेज रोड, जशपुर (छ.ग.)
2	श्री प्रकाश पटेल	श्री परस राम पटेल	ग्रा.पो.–कोनपारा, थाना तुमला, तह.–फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ.ग.)
3	श्री अनुज कुमार मिश्रा	श्री चंद्रेश मिश्रा	शिव मंदिर के पास, बी.एस. मार्केट, जशपुर (छ.ग.)
4	श्री समीर कुमार एक्का	श्री महेश एक्का	एस.एफ.–517, सी.एस.ई.बी. कॉलोनी, कोषाबाड़ी, कोरबा (छ.ग.)
5	कु. हिमेश्वरी भगत	श्री रामनाथ भगत	एस.बी.आई. के सामने, शिक्षक कॉलोनी, नयापारा चकरभाठा, बिलासपुर (छ.ग.)
6	कु. साधना भगत	श्री दिलेश्वर भगत	ग्राम–ऊपर गम्हरिया, पो–बगीचा, तह–बगीचा, जिला–जशपुर (छ.ग.)

प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

शर्तें :–

1. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधीन शासित होंगे।
2. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा अन्य किसी भी विशेष कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. नियुक्ति अवधि में किसी अन्य फर्म / संस्था में कार्य / नियोजन की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी तथा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

D:\VINI K\smita02\niyukti adesh\Niyukti aadesh 2013.doc

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को **दिनांक** 03/06/17 **सायं 5:00 बजे** तक **इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य** होगा, अन्यथा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत जनपद पंचायत कार्यालय में पदस्थापना की जावेगी।
8. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को पदीय दायित्वों का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की एक–एक सत्यापित प्रति भी जमा करना होगा।
10. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
11. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र में प्रतिकूल टीप होने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।
12. संविदा नियुक्त कर्मचारी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./ 341/A /जि.पं./स्था./ **MGNREGA**/2017 जशपुर, दिनांक 27/05/17

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3 आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4 कलेक्टर, जिला–जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
5 पुलिस अधीक्षक, जिला–जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत – जशपुर/मनोरा/दुलदुला/कांसाबेल/कुनकुरी /पत्थलगांव/फरसाबहार/बगीचा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8 संबंधित श्री/श्रीमती/कु. ..... को .सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)